जन घोषणा पत्र-2018

(राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज)

क्रम संख्या	जन घोषणा बिन्दु संख्या	जन घोषणा का विवरण	टिप्पणी
उद्योग विभाग के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों से सम्बंधित घोषणा			
1	14.1	सम्पूर्ण प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास के लिए एक **नई औद्योगिक नीति** बनाई जाएगी जिसमें अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा।	
2	14.5	राजस्थान के औद्योगिक विकास में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए Robotics, Artificial Intelligence, Nano Technology, Quantum Computing, Bio Technology, The Internet of Things, Industrial Internet of Things, Fifth Generation Wireless Technologies आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियों को प्रोत्साहित कर नई औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करना।	
3	14.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) के उद्योगों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पर्याप्त **तकनीकी, वित्तीय एवं विपणन सहायता** उपलब्ध कराना.	
4	14.7	प्रदेश में उद्योग लगाने और व्यवसाय करने के लिए सुगम वातावरण स्थापित किया जाना तथा संभावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु **एकल खिड़की (Single Window)** की योजना को प्रभावी बनाना जिससे राजस्थान देश का औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बन सके।	
5	14.11	राज्य में आवश्यकतानुसार **नए औद्योगिक क्षेत्र** विकसित किया जाना।	
6	5.10	औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक दोषों से युक्त पानी का परिशोधन कर कृषि उपयोग में लाने का प्रयास करना, नरम एवं ठोस **अपशिष्ट प्रबंधन** प्रक्रिया को प्रोत्साहन।	
7	14.13	उद्योगों द्वारा निष्कासित **दूषित जल का उचित प्रबन्धन।**	
8	14.14	प्रोत्साहनों व विनियमन के माध्यम से **औद्योगिक परिसरों में वर्षा जल के संरक्षण** को बढ़ावा।	
9	13.7	खनिज दोहन के साथ यह प्राथमिकता रहेगी कि उस खनिज के **अंतिम उत्पाद** (End Product) के उत्पादन के लिए उद्योग प्रदेश में ही लगाए जाएं।	
10	14.15	रोजगार सृजन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये **वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न व आभूषण जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा**।	
11	18.16	**पर्यटन** से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करना।	
12	14.17	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में **बंजर भूमि को चिन्हित कर उसका उद्योगों की स्थापना के लिए आसान दर पर आवंटन**।	

क्रम संख्या	जन घोषणा बिन्दु संख्या	जन घोषणा का विवरण	टिप्पणी
13	14.19	प्रदेश में आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्र एवं रेगिस्तानी इलाकों में नये उद्योगों की स्थापना पर प्रथम तीन वर्ष तक इन उद्योगों को प्रदेश द्वारा लगाये जाने वाले सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा जायेगा तथा नियमों में छूट।	
14	14.20	प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से **नियमों का सरलीकरण** तथा आवश्यक छूट।	
15	14.22	**रिफाईनरी** से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देना।	
16	19.10	प्रदेश के युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर मिले, इस उद्देश्य को नजर में रखते हुए पर्यटन (Tourism), सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), शिक्षा (Education), अस्पताल (Hospital), स्वास्थ्य देखभाल (Health Care), सत्कार (Hospitality) जैसी **सेवा क्षेत्रों का व्यापक संवर्द्धन** किया जाएगा।	
17	10.2.01	प्रदेश में पढ़े लिखे युवा वर्ग को रोजगार दिया जायेगा अथवा स्वरोजगार हेतु **आसान दरों पर ऋण** उपलब्ध करवाया जायेगा।	
18	19.12	युवाओं को केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए **सुगम ऋण** की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा।	
19	20.17	महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए **आसान दर पर ऋण** उपलब्ध कराना।	
20	14.8	औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए **Dispute Resolution Mechanism** तैयार किया जाएगा।	
21	14.9	**राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद** (Rajasthan Export Promotion Council) को प्रभावी बनाया जाना, ताकि हस्तशिल्प, कृषि और टेक्सटाइल आदि से सम्बन्धित उत्पादकों को लाभ मिल सके।	
22	14.23	**Gems Bourse/Gems Park** बनाना।	
23	16.5	प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र N.C.R. (National Capital Region) में शामिल जिलों में **सूचना प्रौद्योगिकी सिटी एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों का विस्तार।**	
24	1.18	किसानों की आय एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **खाद्य प्रसंस्करण पार्कों (Food Processing Parks) की स्थापना** करना।	
25	14.10	प्रदेश में **औद्योगिक निवेश की प्रभावी नीति** के निर्धारण तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमित रूप से **प्रदर्शनियां (Exhibitions), सम्मेलन (Conferences) तथा परिसंवाद (Seminars) का नियमित आयोजन।**	
26	14.12	क्षेत्र विशेष के उत्पादों के लिये **क्लस्टर विकास** पर जोर।	
27	14.16	**हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना**, जो कारीगरों को नई डिजाइनों के विकास तथा उत्पादन के विपणन ने सहायता प्रदान करें।	

क्रम संख्या	जन घोषणा बिन्दु संख्या	जन घोषणा का विवरण	टिप्पणी
28	10.15.02	प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए **स्वयं सहायता समूहों का गठन**। (अ) गैर कृषि क्षेत्र में **दक्षता विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था** की शुरुआत। (ब) जूता निर्माण, दरियां, कालीन बनाना, मधुमक्खी पालन, मत्स्य उद्योग, डेयरी, पत्थरों को तराश कर जाली एवं कलात्मक वस्तुएँ बनाना, आर.सी.सी. शटरिंग इत्यादि में **दक्षता विकसित करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन**। (स) कुशल श्रमिकों हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को **आसान दर पर ऋण** सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर।	
29	4.3	ग्राम क्षेत्र के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों जैसे **हस्तशिल्प, खादी, डेयरी, ग्रामीण पर्यटन, टेराकोटा तथा चमड़ा आदि के उद्योगों को बढ़ावा** देना तथा इन उद्योगों के **उत्पादों के विपणन हेतु समुचित व्यवस्था** करना।	
30	14.6	प्रदेश के प्रत्येक **संभागीय स्तर पर नियमित व्यापारिक प्रदर्शनी/मेला के लिए स्थान** को चिन्हित करना।	
सहकारी क्षेत्र की उद्योग विभाग से सम्बंधित घोषणा			
31	3.4	**हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय** (Directorate of Handicraft and Handloom) का गठन।	
32	3.3	बुनकरों, कातिन, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत **शीर्ष संस्थानों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करना**	
33	3.2	सहकारी क्षेत्र से जुड़े बुनकरों के एक लाख तक के **ऋण पर व्याज का भुगतान** सरकार द्वारा करना।	
उद्योग विभाग की वित्त विभाग से सम्बंधित घोषणा			
34	14.4	**छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा** के लिए कदम उठाना तथा छोटे दुकानदार एवं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण करना।	
35	14.3	GST के सरलीकरण तथा राजस्थान में परंपरागत रूप में निर्मित वस्तुओं को GST मुक्त करने के लिए **GST कौंसिल को प्रस्ताव भेजना।**	